न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 32/2015/223 आर टी ए

1. बागाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. महावीर पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सतवीरसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. चेतराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. चन्द्रावली बेवा प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह (फौत)

2/1 संतोष बेवा सतवीरसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2/2 मनजीत पुत्र सतवीरसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2/3 विकास पुत्र सतवीरसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. सुरेशकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. शेरसिंह पुत्र भूरा जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. जगदीश पुत्र भूरा जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. शांति बेवा चन्दगी पुत्रवधु अगडी जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
7. मंगेराम पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
8. दलीप पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
9. रोहताश पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर।
10. फुसाराम पुत्र जसाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

–––असल रेस्पोडेन्टस

11. लिछमादेवी पत्नि रामसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. कुलदीप पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
13. मंजू पुत्री रामसिंह जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. ओमप्रकाश हंसराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. वीरसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. राजेन्द्र पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. बलवंतसिंह पुत्र हंसराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
19. मैनेजर एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा जोगीवाला तहसील भादरा।

—— तरतीबी रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा प्र0सं. 489/2013 अनवानी चन्द्रावली आदि बनाम लिछमा आदि

उपस्थित :—

श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 10

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18

निर्णय दिनांकः—11.04.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 10 ने अपीलाण्ट व अन्य रेस्पो0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आरटीए पेश किया कि चक 14 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं. 3/3 के मु.न. 14 कि.न. 20 ता 23 मु.न. 15 कि.न. 16 ता 19 व 22ता25, मु.न. 16 कि.न. 18 ता 23 व मु.न. 14 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व मु.न. 18 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17 व 25, मु.न. 20 कि.न. 4 ता 7, 14, मु.न. 35 कि.न. 4, 5 कुल 10.12 है0 जिसमे गै.मु. रास्ता 0.013 है0 व नहरी 2.264 है0 व बारानी 7.843 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाता की भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का रेस्पो0 द्वारा अच्छी मे से अच्छी व माडी मे से माडी का विभाजन चाहा जिस पर

अपीलांट ने अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कि कि वादग्रस्त भूमि का अर्सा दराज पूर्व अच्छी न्याउ के हिसाब से खाता विभाजन भौतिक तौर से हो चुका है पुनः खाता विभाजन करवाने की आवश्यकता नही है। अपीलांट वाद मे प्रतिवादी सं. 9 ता 12 ने इस चक मे अगडीराम से चक 14 जोगीवाला के मु.न. 14 के कि. न. 20, 21, 22 मु.न. 20 कि.न. 5, 6, 7, 14 कुल 6 बीघा नहरी आराजी दिनाक 09.05.1977 को किमतन क्रय कर कब्जा ले लिया था। उक्त भूमि अपीलांट का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा प्राथमिक डिक्री कर विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 3 का निर्णय कतई गलत तौर से पारित किया है। तीनो भाईयो की बंटवारा बाबत कोई लिखीपढ़ी नही मानकर उक्त तनकी का निर्णय पारित किया है जब बैयनामा दिनांक 09.05.1957 की लिखापढ़ी मे जो भूमि अपीलांट को दी गई थी। उसी पर अपीलांट काबिज काश्त चले आ रहे है तथा 38 वर्षो की कब्जा काश्त के तीन गवाहान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किये है। तनकी सं. 2 का निर्णय आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की अवहेलना मे पारित किया है। तनकी सं. 2 का निर्णय पारित करते समय उक्त तनकीयात का निर्णय तनकी सं. 1 पर आधारित माना है जबकि प्रत्येक तनकीयात पर पूर्ण विश्लेषण व विवेचन के आधार पर स्पष्ट रूप से निर्णय पारित होना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णरू कतई विधि विरूद्ध पारित किया है महज एक वादी की साक्ष्य के आधार पर विश्वास करके निर्णय पारित किया है जबकि अन्य खाते के पडौसीयान व अन्य प्रतिवादीगण की कोई साक्ष्य नही करवाई जबकि प्रतिवादीगण सं. 9 ता 12 की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य मे बैयनामा मे लिखित भूमि का कब्जा काश्त के तौर पर 3 गवाहान पेश किये थे एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे बैयनामा दिनांक 09.05.57 पेश किया था। जिसमे चक 14 जोगीवाला के मु.न. 14 के कि.न. 20, 21, 22 मु.न. 20 कि.न. 5, 6, 7, 14 कुल 6 बीघा नहरी भूमि का कब्जा अपीलांट को सौंपा था। उक्त बैयनामा से पूर्व ही वादभूमि का बंटवारा हो चुका था। रेस्पो0 के पूर्वजो ने उक्त भूमि का पूर्व मे बंटवारा करके ही अपीलांट को वादग्रस्त भूमि बैय की थी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 10 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र कर चक 14 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं. 3/3 के मु.न. 14 कि.न. 20 ता 23 मु.न. 15 कि.न. 16 ता 19 व 22ता25, मु.न. 16 कि.न. 18 ता 23 व मु.न. 14 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व मु.न. 18 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17 व 25, मु.न. 20 कि.न. 4 ता 7, 14, मु.न. 35 कि.न. 4, 5 कुल 10.12 है0 जिसमे गै.मु. रास्ता 0.013 है0 व नहरी 2.264 है0 व बारानी 7.843 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाता की भूमि दर्ज है, के संबंध मे अच्छी मे से अच्छी व माडी मे से माडी का विभाजन का अनुतोष चाहा। जिस पर अपीलांट ने अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश कि कि वादग्रस्त भूमि का अर्सा दराज पूर्व अच्छी न्याउ के हिसाब से खाता विभाजन भौतिक तौर से हो चुका है पुनः खाता विभाजन करवाने की आवश्यकता नही है। जबकि वादग्रस्त भूमि का कभी भी बंटवारा नही हुआ तथा वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खाता मे दर्ज है और मुश्तरका ही काश्त होती है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद मे साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित किया गया है, जो सही पारित किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 18 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 ता 10 द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर चक 14 जेजीडब्ल्यू के वर्तमान खाता सं. 3/3 के मु.न. 14 कि.न. 20 ता 23 मु.न. 15 कि.न. 16 ता 19 व 22ता25, मु.न. 16 कि.न. 18 ता 23 व मु.न. 14 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व मु.न. 18 कि.न. 4 ता 7, 14 ता 17 व 25, मु.न. 20 कि.न. 4 ता 7, 14, मु.न. 35 कि.न. 4, 5 कुल 10.12 है0 जिसमे गै.मु. रास्ता 0.013 है0 व नहरी 2.264 है0 व बारानी 7.843 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खाता की भूमि दर्ज है, के संबंध मे अच्छी मे से अच्छी व माडी मे से माडी का विभाजन का अनुतोष चाहा। जिस पर अपीलांट ने अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया कि वादग्रस्त भूमि का अर्सा दराज पूर्व अच्छी न्याउ के हिसाब से खाता विभाजन भौतिक तौर से हो चुका है पुनः खाता विभाजन करवाने की आवश्यकता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम बाबत निर्णय मे विवेचन नही किया गया है और ना ही काउंटर क्लेम खारिज या स्वीकार करने बाबत कोई विवेचन किया गया। जबकि वाद मे प्रस्तुत जवाबदावा मय कांउटर क्लेम के संबंध मे पूर्ण विश्लेषण एवं विवेचन करने के उपरांत ही वाद मे निर्णय करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की जानी चाहिए थी। अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री अपीलांट को बिना सुने पारित की गई है। ऐसी स्थिति मे अपील

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद मे विरचित तनकीयात का तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 11.05.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official